न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 05/2018

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	**बनाम्**	1. अशोक कुमार पुत्र जेठानन्द जाति सिंधी निवासी महावीर नगर, बा़ड़मेर (राज.) (फर्म मैसर्स भारत प्रोवीजन स्टोर, हाई स्कूल रोड़ बाड़मेर का मुनिम.) 2. .पुरषोतम दास पुत्र नरूमल सायनी जाति सिन्धी कॉलोनी, नेहरू नगर बाड़मेर (राज.) (फर्म मैसर्स भारत प्रोवीजन स्टोर, हाई स्कूल रोड़ बाड़मेर का प्रोप्राईटर एवं अनुज्ञापत्रधारी)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रमेश सोलंकी अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक–27.02.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.6.2017 को प्रातः 11.00 बजे खाध सुरक्षा अधिकारी बसिलसिले निरीक्षण करते हुए फर्म मैसर्स भारत प्रोवीजन स्टोर, हाई स्कूल रोड़ बा़ड़मेर पहुॅचने पर फर्म का मुनिम अशोक कुमार पुत्र जेठानन्द जाति सिंधी निवासी महावीर नगर बाड़मेर (राज.) बैठा हुआ मिला। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

करने पर दुकान में पनीर (खुला) करीबन दो किलोग्राम पाया गया जो आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। पनीर (खुला) में मिलावट का सन्देह होने पर उसमें से एक किलोग्राम (250–250 ग्राम) खरीदा, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 300/– रूपये किया गया। पनीर (खुला) को चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया,उक्त प्रत्येक शीशी में 20–20 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर ढक्कन टाईट बंद किया, प्रत्येक शीशी पर नियमानुसार विवरण स्लीप चिपकाई गई, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एंव स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 804 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–804 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पदार्थ पनीर (खुला)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

नमूना पी–804 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/625/एक्ट/2017/626 दिनांक 4.7.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें पनीर का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ पनीर (खुला) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.804 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में बताया कि अशोक नाम का कोई मुनीम उनकी फर्म में नहीं है, बल्कि वह तो माल सप्लाई करने के लिये आया हुआ था। पनीर का नमूना लेने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा उसके विरूद्व यह परिवाद द्वेष भावना से ग्रसित होकर बनाया गया है।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 19.6.2017 को फर्म मैसर्स भारत प्रोविजन स्टोर बा़ड़मेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में करीबन दो किलोग्राम पनीर (खुला) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ पाया गया। पनीर (खुला) का नमूना पी.804 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) होना पाये जाने के फलस्वरूप खाध

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा पनीर का सेम्पल नियमानुसार नही भरा गया। खाद्य विश्लेषण जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार पनीर में फेट 50 प्रतिशत से कम पाया गया। अशोक नाम का कोई मुनीम भारत प्रोविजन स्टोर में कार्यरत नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्व दायर परिवाद खारिज किया जावें।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/625/एक्ट/2017/626 दिनांक 4.7.2017 का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण का यह कथन कि सेम्पल लेने से पूर्व उसे कोई सूचना नहीं दी गई। खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलो में फर्म को उसकी दुकान में रखी सामग्री का सेम्पल भरने से पूर्व सूचित करना आवश्यक नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 अशोक कुमार के मौका फर्द, फार्म नं. 5ए व नमूना खरीद बिल आदि दस्तावेजात पर हस्ताक्षर है। अतः अप्रार्थी संख्या 02 का यह कहना कि अशोक कुमार भारत प्रोविजन स्टोर फर्म का मुनीम नहीं है, यदि अशोक कुमार फर्म का मुनीम नहीं है तो उसने उक्त दस्तावेजो पर किस हैसियल से हस्ताक्षर किये, अप्रार्थीगण इसका कोई कारण नहीं बता पाये। अतः खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा अपनी दुकान में विक्रय किये जा रहे पनीर (खुला) का नमूना पी. 804 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Standard) का पनीर रखने व बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर रूपये 5000/–(अक्षरे रूपये पांच–पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.2.2018 से एक माह के अंदर– अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज तारीख 27.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर